

सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,

प्रिन्सपल बेंच, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,

कोपेरनियस मार्ग नई दिल्ली ।

विषय - IA NO. 402/2024 के संबंध में ।

महोदय,

श्री कमाल फारुकी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत IA NO. 402/2024 में जो तथ्य कह गए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय न्यायालय को गुमराह करने और माननीय न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने के लिए दिए गए हैं।

जबकि शिकायत तालाब के गाटा संख्या 403,404 पर चार कॉलेज की मान्यता/ संबद्धता लेने के संबंध में जनसूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं को आधार बनाकर की गई है। जो संबंधित सरकारी विभागों से आवेदक ने प्राप्त की है।

1. गाटा संख्या 403 व 404 चकबंदी पूर्व गाटा संख्या 311 से बना हुआ है 1359 फसली वर्ष के अनुसार खसरे में गाटा संख्या 311 तालाब दर्ज है तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 22/9/2023 पर प्रस्तावित मेसको इंस्टीट्यूट आफ फार्मैसी का मानचित्र 222/2023 को निरस्त कर दिया और मेस्को पब्लिक स्कूल और राशिदा बेगम मुस्लिम विद्यालय के पूर्व में स्वीकृत मानचित्र संख्या 608/2011 व 96/2020 को भी तहसीलदार अमरोहा की आख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा दिनांक 7/3/2024 को निरस्त कर दिया गया। (संलग्नक 1,2,3,4)
2. महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने आईजीआरएस संख्या 40013724006029 के संबंध में बताया कि गाटा संख्या 403 रकबा 0.295 हेक्टेयर गाटा संख्या 404 रकबा 0.717 हेक्टेयर के 2/3 भाग यानी 0.478 हेक्टेयर में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय अमरोहा बना हुआ है जबकि श्री कमाल फारुकी ने मेसको इंस्टीट्यूट आफ फार्मैसी धनौरा रोड अमरोहा की मान्यता/संबद्धता में दिए गए शपथ पत्र में मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मैसी की भूमि में भी गाटा संख्या 402 रकबा 0.162 व गाटा संख्या 403 रकबा 0.295 हेक्टेयर भूमि में मेसको इंस्टीट्यूट आफ फार्मैसी धनौरा रोड अमरोहा के लिए भी दिखाई गई है। (संलग्नक 5,6,7,8,9)
3. न्यायालय नियत प्राधिकारी उप जिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र अमरोहा मानचित्र संख्या 222/2023 आरबीओ एक्ट 1958, सरकार बन्नाम मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मैसी के निर्णय में श्री कमाल फारुकी चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मैसी ग्राम निजामपुर गरबी अमरोहा द्वारा दिनांक 6.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि विपक्षी कमाल

फारुकी मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मसी की मैनेजिंग कमेटी में अध्यक्ष है तथा मैनेजिंग कमेटी के समस्त कार्य को देखते हैं। (संलग्नक 10)

4. 5 सितंबर 2023 को कमाल फारुकी और शबी अहमद द्वारा अशहर तौसीफ, माता निगहत जहां व अजक तौसीफ से मारपीट करने व जान से मारने की कोशिश करने में मय साक्ष्यों व मेडिकल जांच के साथ मुकदमा संख्या 474/2023 दिनांक 05/09/2023 को दर्ज किया गया है जिसकी चार्जशीट संख्या 473/2023 दिनांक 05/10/2023 को लगाकर माननीय न्यायालय कित्ता की जा चुकी है जबकि 8 दिन बाद बिना साक्ष्यों के कमाल फारुकी ने स्कूल की प्रिंसिपल पूजा भुट्टन के नाम से हम लोगों के ऊपर दिनांक 13.09.2023 को झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई। जबकि यह अवगत कराना आवश्यक है की प्रिंसिपल पूजा भुट्टन पहले कमाल फारुकी के दिल्ली के स्कूल में कार्य करती थी और कमाल फारुकी द्वारा ही पूजा भुट्टन का धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम व्यक्ति वसीम से शादी करवाई गई है। (संलग्नक 11,12)
5. जब प्रार्थी ने जनसूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ कि गाटा संख्या 403, 404 पर तालाब दर्ज है तब उसकी शिकायत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दिनांक 17/02/2024 को की तब कमाल फारुकी ने केस वापिस लेने के लिए दबाव बनाया जब केस वापिस नहीं लिया गया तब प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई और अपने वकील श्री अबू बकर सब्बाक से दिनांक 22/02/2024 को एक और झूठा मुकदमा बिना साक्ष्यों के पंजीकृत कराया गया।
6. पीसीआई के SIF 2024-25 में मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा का मानचित्र संख्या 222/2023 तालाब पर बने होने के कारण निरस्त होने के पश्चात संस्था ने किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित मानचित्र और मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा के लिए भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो गहन जांच का विषय है। (संलग्नक 13)
7. इसी क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी महोदय अमरोहा द्वारा अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय अमरोहा ने अग्निशमन अधिकारी अमरोहा और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अमरोहा को उक्त के क्रम में दिनांक 08.08.2024 को मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी के विरुद्ध उक्त फर्जी/ कूट रचित अभिलेख बनाने वाले / प्रस्तुत करने वाले के विरुद्ध प्रविधानानुसार कड़ी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को तीन दिवस के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करे। (संलग्नक 14,15)
8. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी / रजिस्ट्रार आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ० प्र० से मांगी गई सूचना के जवाब में उपरोक्त विभाग द्वारा पत्रांक संख्या 1915/बोर्ड – रजि०-जन०सु०/24 लखनऊ : दिनांक 10/09/2024 से पता लगा कि श्री कमाल फारुकी ने गाटा संख्या 402, रकबा 0.162 हे० और गाटा संख्या 403 रकबा 0.295 हे० पर मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरा मेडिकल साइंसेज, निजामपुर गरबी की वर्ष 2018 में मान्यता ली है (संलग्नक 16,17,18,19,)

प्रार्थना

गाटा संख्या 403 व 404 चकबंदी पूर्व गाटा संख्या 311 से बना हुआ है 1359 फसली वर्ष के अनुसार खसरे में गाटा संख्या 311 तालाब दर्ज है तालाब की भूमिका स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 22/9/2023 पर प्रस्तावित मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मैसी का मानचित्र 222/2023 को निरस्त कर दिया और मेस्को पब्लिक स्कूल और राशिदा बेगम मुस्लिम विद्यालय के पूर्व में स्वीकृत मानचित्र संख्या 608/2011 व 96/2020 को भी तहसीलदार अमरोहा की आख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा दिनांक 7/3/2024 को निरस्त कर दिया गया।


अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में संस्था के अध्यक्ष श्री कमाल फारुकी इनके पुत्र व संस्था के उपाध्यक्ष श्री दानिश कमाल फारुकी व इनके समधी व संस्था के सचिव श्री शबी अहमद पर सख्त से सख्त विधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए और जुर्माना लगाया जाए। और इनके द्वारा प्रस्तुत IA NO. 402/2024 को निरस्त कर दिया जाए।

और तालाब पर हुए अतिक्रमण को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराकर तालाब को पुनः जीवित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे। जिस से भविष्य में कोई ऐसी हरकत नहीं कर सके।

माननीय की अति कृपा होगी।

दिनांक: 20/09/2024

संलग्नक - 1 से 19 तक

प्रार्थी 

डॉ सैय्यद अशहर तौसीफ

निवासी मोहल्ला गश्तियान अमरोहा थाना
अमरोहा नगर, जनपद अमरोहा। 8218533746,
9897629400

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

पत्रांक 51 / वि०क्षे०अमरोहा / सू०आ०आ०-2005 / 2023-24.

दिनांक:- 15/01/24

सेवा में,

श्री सैय्यद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ हसन

निवासी मौहल्ला गशितयान अमरोहा।


मो० नं०-8218533746, 9897629400

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वॉछित सूचना का प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की सेवा में पंजीकृत डाक से प्रेषित प्रार्थना दिनांक 04.08.2023 आवेदन दिनांक 26.08.2023 पोस्टल आर्ड सं० 56एफ365756 के माध्यम से चाही गयी वॉछित सूचना निम्नवत है।

उपरोक्त विषयक में आपको अवगत कराना है कि बिन्दु सं० 07 के वॉछित सूचना के संबंध में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मैसी ग्राम निजामपुर गर्वी धनौरा रोड अमरोहा मानचित्र संख्या 222/2023 दिनांक 18.12.2023 को निरस्त किया गया है। बिन्दु सं० 08 के संबंध में निरस्त मानचित्र की प्रमाणित कापी प्राप्त करने हेतु कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा में उपस्थित होकर नियमानुसार शुल्क बैंक में जमा कर छायाप्रति प्राप्त कर सकते हैं।


15/01/24

जन सूचनाधिकारी,
कार्यालय नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

प्रतिलिपि:- उप जिलाधिकारी अमरोहा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जन सूचनाधिकारी,
कार्यालय नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-अमरोहा।

पत्रांक: 29 / वि०क्ष० / आई०जी०आर०एस० / 2024

दिनांक 08/01/2024

विषय:- आई०जी०आर०एस० प्रणाली के अन्तर्गत शिकायत सं० 40013723020365 की जांच आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भ संख्या: 40013723020365 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शिकायतकर्ता श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ निवासी मौहल्ला गश्तियान अमरोहा द्वारा चेयरमैन कमाल फारुखी, राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय के नाम गाटा सं० 398 रकबा 0.19 है०, गाटा सं० 399 रकबा 0.162 है०, गाटा सं० 402 रकबा 0.162 है०, गाटा सं० 403 रकबा 0.295 है० व गाटा सं० 404 रकबा 0.717 है० व गाटा सं० 405 रकबा 0.263 पर कूट रचित दस्तावेज बनाकर इन्हीं गाटा संख्याओं पर राशिदा बेगम महाविद्यालय, मेस्को पब्लिक स्कूल, फार्मोसी व आदि संस्थाओं की मान्यता ली गयी है। गाटा सं० 403 व 404 पर चकवन्दी पूर्व गाटा सं० 311 से बना हुआ है 1359 फ० वर्ष के अनुसार खसरे में गाटा सं० 311 तालाब दर्ज है, तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, के संबंध में कानूनी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र, अमरोहा से जांच कराई गयी। अवर अभियन्ता की जांच आख्या दिनांक 08.01.2023 के अनुसार प्रश्नगत उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ निवासी मौहल्ला गश्तियान अमरोहा द्वारा चेयरमैन कमाल फारुखी, राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय के नाम गाटा सं० 398 रकबा 0.19 है०, गाटा सं० 399 रकबा 0.162 है०, गाटा सं० 402 रकबा 0.162 है०, गाटा सं० 403 रकबा 0.295 है० व गाटा सं० 404 रकबा 0.717 है० व गाटा सं० 405 रकबा 0.263 पर कूट रचित दस्तावेज बनाकर इन्हीं गाटा संख्याओं पर राशिदा बेगम महाविद्यालय, मेस्को पब्लिक स्कूल, फार्मोसी व आदि संस्थाओं की मान्यता ली गयी है। गाटा सं० 403 व 404 पर चकवन्दी पूर्व गाटा सं० 311 से बना हुआ है 1359 फ० वर्ष के अनुसार खसरे में गाटा सं० 311 तालाब दर्ज है, तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, पर कार्यवाही करते हुये तहसीलदार की आख्या दिनांक की आख्या दिनांक 22.09.2023 पर प्रस्तावित मानचित्र 222/2023 को निरस्त किया जा चुका है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

नियत प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-अमरोहा।

पत्रांक: 265 / वि०क्ष० / आई०जी०आर०एस० / 2024

दिनांक 27/03/24


विषय:- आई०जी०आर०एस० प्रणाली के अन्तर्गत शिकायत सं० 41013724000030 व
40013724003510 की जांच आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भ संख्या: 41013724000030 व 40013724003510 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शिकायतकर्ता श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ निवासी मौहल्ला गशितयान अमरोहा द्वारा चेयरमैन कमाल फारुखी द्वारा मानचित्र सं० 608/2011 व 96/2020 गाटा सं० 398 रक्बा 0.19 है०, गाटा सं० 399 रक्बा 0.162 है०, गाटा सं० 402 रक्बा 0.162 है०, गाटा सं० 403 रक्बा 0.295 है० व गाटा सं० 404 रक्बा 0.717 है० व गाटा सं० 405 रक्बा 0.263 पर कूट रचित दस्तावेज बनाकर इन्ही गाटा संख्याओं पर राशिदा बेगम महाविद्यालय, मेस्कॉ पब्लिक स्कूल, फार्मसी व आदि संस्थाओं की मान्यता ली गयी है। गाटा सं० 403 व 404 पर चकवन्दी पूर्व गाटा सं० 311 से बना हुआ है 1359 फ० वर्ष के अनुसार खसरें में गाटा सं० 311 तालाब दर्ज है, तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, के संबंध में मानचित्र सं० 608/2011 व 96/2020 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरण में अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा द्वारा जांच करायी गयी। अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की आख्या दिनांक 22.03.2024 के अनुसार शिकायतकर्ता श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ निवासी मौहल्ला गशितयान अमरोहा द्वारा की गयी शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि चेयरमैन कमाल फारुखी द्वारा पूर्व में स्वीकृत मानचित्र सं० 608/2011 व 96/2020 को तहसीलदार अमरोहा की आख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा दिनांक 07.03.2024 को निरस्त कर दिया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


नियत प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

कार्यालय नियत प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा
पत्रांक: 288/वि०क्ष०अमरोहा/2023-24 दिनांक:- १७/०३/२०२४

प्रबन्धक समिति राशिदा बेगम गुस्तिग महाविद्यालय
प्रबन्धक गेस्को पब्लिक स्कूल
ग्राम निजामपुर गर्वी घनीरा रोड
जनपद अमरोहा।

विषय- मानचित्र संख्या 96/2020 व 608/2011 के संबंध में।
महोदय,

कृपया कार्यालय के पत्रांक संख्या 1501/वि०क्ष०अमरोहा/2023 दिनांक 26.09.2023 व पत्रांक संख्या 1779/वि०क्ष०अमरोहा/2023 दिनांक 27.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावित मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी ग्राम निजामपुर गर्वी, घनीरा रोड अमरोहा मानचित्र संख्या 222/2022 पर स्वागित् संबंधी जांच हेतु कार्यालय के पत्र सं० 1296/वि०क्ष० अमरोहा/2023 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा तहसीलदार अमरोहा को पत्र प्रेषित किया गया था।

तहसीलदार अमरोहा की जांच आख्या दिनांक 22.09.2023 के अनुसार मानचित्र सं० 222/2023 प्रस्तावित प्रस्तावित मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी ग्राम निजामपुर गर्वी, घनीरा रोड अमरोहा गाटा सं० 398, 402, 403, 404 में से गाटा सं० 404, 403 पर चकबंदी पूर्व गाटा सं० 311 से बना है। 1359 फ० वर्ष के अनुसार खसरे में गाटा सं० 311 'तालाब' दर्ज है, तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, के आधार पर मानचित्र सं० 222/2023 दिनांक 18.12.2023 को निरस्त कर दिया गया है तथा कार्यालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत मानचित्र सं० 608/2011 व 96/2020 पर भी कार्यालय के पत्र संख्या 1776/वि०क्ष०अमरोहा/2023 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा तहसीलदार अमरोहा से पूर्व में स्वीकृत मानचित्र में सम्मिलित गाटा सं० 404 व 403 पर 'तालाब' के संबंध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है जिस पर तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 30.01.2024 के अनुसार लेखपाल श्री सधिन यादव, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान खतौनी फ० वर्ष 1428-1433 खाता सं० 253 गाटा सं० 404 रकबा 0.717 है० श्रेणी-1(क) (भूमि जो संकमणीय भूमिघरों के अधिकार में है) पर राशिदा बेगम गुस्तिग महाविद्यालय अमरोहा द्वारा प्रबन्धक श्री नासिर हसन पुत्र शमशुल हसन निवासी मोहल्ला सददो अमरोहा, श्री कमाल अहमद फारुखी निवासी त्रिपोलिया अमरोहा का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। उपरोक्त विवरण के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि ग्राम निजामपुर गर्वी वर्तमान गाटा सं० 404, 403 व चकबन्दी पूर्व गाटा सं० 311 में कमरा: चकबन्दी आकार पत्र 41 व 1359 खसरे के विशेष विवरण में 'तालाब' दर्ज है जबकि चकबन्दी आकार पत्र 45 तथा खतौनी 1359 फ० पर काश्तकारों के नाम दर्ज है। यहां यह उल्लेख किया गया है कि श्री मुस्तकीम लेखपाल अहमद की आख्या दिनांक 5.08.2012 में चकबन्दी आकार पत्र 45 व 1359 खतौनी का उल्लेख है किन्तु चकबन्दी आकार पत्र 41 व 1359 फ० खसरे का उल्लेख नहीं है।

अतः तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 30.01.2024 से स्पष्ट है कि ग्राम निजामपुर गर्वी गाटा सं० 403 व 404 व चकबन्दी पूर्व गाटा सं० 311 में कमरा: चकबन्दी आकार पत्र 41 व 1359 खसरे के विशेष विवरण में 'तालाब' दर्ज है। 'तालाब' की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 30.01.2024 के आधार पर कार्यालय विनियमित क्षेत्र, अमरोहा द्वारा पूर्व में स्वीकृत मानचित्र संख्या 608/2011 व 96/2020 को निरस्त किया जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के भीतर गाटा सं० 403 व 404 को सम्मिलित न करते हुये पूरे मुखण्ड का शमन मानचित्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में आप द्वारा किये गये निर्माण को अवैध घोषित करते हुये आपके विरुद्ध आर०वी०ओ० एक्ट की धारा 10 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार



१७/३/२४
प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा



महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Govt. of Uttar Pradesh, NAAC A++ Accredited, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.यू.वि./कु.सा.क. / 2024 / 415

दिनांक : 05.07.2024

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा),
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विषय:-जनसुनवाई सगन्धित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश पर दर्ज आई0जी0आर0एस0 संख्या-40013724006029 के निस्तारण के सम्वन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्रांक-डिग्री आई0जी0आर0एस0/297/2024-25 दिनांक 21.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्वन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अभिलेखानुसार राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या: ई.स./5329/जी.एस. दिनांक 01.10.2004 द्वारा राशिदा वेगम मुस्लिम महाविद्यालय, अमरोहा, जे0पी0 नगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2004 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्वद्धता की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या: ई.स./710/जी.एस. दिनांक 09.06.2006 द्वारा राशिदा वेगम मुस्लिम महाविद्यालय, अमरोहा, जे0पी0 नगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2005 से सम्वद्धता की स्वीकृति प्रदान की गई है। (छायाप्रतियाँ संलग्न है)

महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार गाटा संख्या 403 रकवा 0.295 हे0, गाटा संख्या 404 रकवा 0.717 हे0 के 2/3 भाग यानि 0.478 हे0 में राशिदा वेगम मुस्लिम महाविद्यालय, अमरोहा बना हुआ है व गाटा संख्या 398 रकवा 0.890 हे0 में 1/9 भाग अर्थात 0.098 हे0 जो महाविद्यालय से सम्वन्धित है और एक दूसरे से जुड़े हुए है। महाविद्यालय के नाम कुल भूमि 0.871 हे0 है।

कृपया उक्त सूचना से अवगत होते हुए प्रकरण को निक्षेपित करने का कष्ट करें।


संलग्नक: उर्युक्तानुसार।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष राधिय, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
3. निजी राधिय-मूलपरि।


कुलसचिव

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

पत्रांक 52 / वि०क्षे०अमरोहा / सू०अ०अ०-2005 / 2023-24

दिनांक:- 15/01/24

सेवा में,

श्री सैय्यद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ हसन

निवासी मौहल्ला गश्तियान अमरोहा।


मो० नं०-8218533746, 9897629400

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वॉछित सूचना का प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की सेवा में पंजीकृत डाक से प्रेषित प्रार्थना दिनांक 04.08.2023 आवेदन दिनांक 26.08.2023 पोस्टल आर्ड सं० 56एफ365757 के माध्यम से चाही गयी वॉछित सूचना निम्नवत है।

उपरोक्त विषयक में आपको अवगत कराना है कि बिन्दु सं० 07 के वॉछित सूचना के संबंध में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय बीएड कालेज ग्राम निजामपुर गर्वी घनौरा रोड अमरोहा मानचित्र संख्या 96 / 2020 दिनांक 31.12.2020 को स्वीकृत किया गया है। बिन्दु सं० 08 के संबंध में निरस्त मानचित्र की प्रमाणित कापी प्राप्त करने हेतु कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा में उपस्थित होकर नियमानुसार शुल्क बैंक में जमा कर छायाप्रति प्राप्त कर सकते हैं।


15/01/24
जन सूचनाधिकारी,
कार्यालय नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

प्रतिलिपि:- उप जिलाधिकारी अमरोहा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जन सूचनाधिकारी,
कार्यालय नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


EB 793166
संलग्नक-2

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2018-19 में स्थापित की जाने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण के समय प्रस्तुत किए जाने वाला नोटरी शपथ पत्र

हम **कमाल फारुखी (अध्यक्ष)** एवं **सै0तौसीफ हसन (सचिव)** क्रमशः **अमरौहा एवं (अभिच- राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय धनौरा रोड, अमरौहा)** (सोसाइटी ट्रस्ट का नाम एवं पता) द्वारा प्रस्तुत निम्नवत बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा **मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मोसी, धनौरा रोड, अमरौहा** (संस्था का नाम एवं पता) नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2018-19 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह है कि हमारी सोसाइटी ट्रस्ट के नाम **निजामपुर गरबी, धनौरा रोड, अमरौहा** (पता जहां पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या **402 एवं 403** रकबा क्रमांक **0.162 एवं 295** हेक्टेयर (कुल रकबा **457** हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद विवाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त भूमि पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या **402 एवं 403** रकबा क्रमांक **0.162 एवं 295** हेक्टेयर (कुल रकबा **457** हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक **08-10-2016** द्वारा प्रारित किया गया है।



(अभिच- राशिदा बेगम)
जनसूचना एवं संचार विभाग
प्राविधिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 793167

संलग्नक-3

प्रदेश में स्थित सोसाइटी/ट्रस्ट जिसके डिप्लोमा स्तरीय शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही हैं अथवा सत्र 2018-19 से संचालित किए जाने का प्रस्ताव है के अध्यक्ष/सचिव के व्यक्तिगत हस्ताक्षर से प्रस्तुत किए जाने वाला नोटरी शपथ पत्र :-

हम कमाल फारुखी (अध्यक्ष) एवं सै0तौसीफ हसन (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव शशिदा बेगम मुस्लिम नहाविद्यालय धनौरा रोड, अमरोहा (सोसाइटी ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

अ मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड, अमरोहा (प्रस्तावित)

व _____

स _____

द _____

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है:-

क्रम संख्या	पता	गाँव संख्या	भूमि का रकबा	भूमि हेक्टेयर में
1.	2		4	5
2.	निज़ामपुर गरवी, धनौरा रोड, अमरोहा	402, 403	0.162, 295	.457
3.				

President

(अभिमान्य न्यायिक)

 प्राविधिक शिवा गारेगाद

 उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Police

यह कि उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं को निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	गाटा संख्या	रकबा	कुल भूमि
1.	2	3		5	6	7
1.	राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय धनौरा रोड, अमरोहा	मैस्त्रो इन्स्टिट्यूट ऑफ़ फार्मरी धनौरा रोड, अमरोहा	निजामपुर गरची, धनौरा रोड, अमरोहा	402, 403	0.162, .295	.457

कि उपरोक्त स्थिति संबंधित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारंभ के समय की है एवं इसमें कालांतर में कोई बदलाव किया गया है।

कि उपरोक्त विवरण में निम्नवत बदलाव किया गया है और आज की तिथि का विवरण निम्नवत है: -

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल रकबा	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
2	राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय धनौरा रोड, अमरोहा	निजामपुर गरची, धनौरा रोड, अमरोहा	402, 403	0.162, .295	.457
3					

कि भविष्य में यदि हमारी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि आवंटित की जाती है तो उसका विवरण परिपद कार्यालय में नूतन किया जाएगा

Solemnly affirmed by Shri/Smt./Krn. राशिदा बेगम
 deponent who is identified by Shri/Smt./Krn. राशिदा बेगम
 Clerk of Shri/Smt./Krn. राशिदा बेगम Advocate on राशिदा बेगम
 I have satisfied my self after examining the deponent that राशिदा बेगम
 the contents of the affidavit and the same राशिदा बेगम
 has been read and explained to राशिदा बेगम
 Recd Rs. राशिदा बेगम as fee
 Sl. No. राशिदा बेगम
 RAJIP NARAIN MATHUR
 Advocate/Notary Public
 District Court
 P. Nagar, Sec. No. 6/5/5
 12.4.18
 प्रमो
 हउसचिव

28.6.17

जन्म प्रमाणिका
 प्राविधिक
 उत्तर प्रदेश

कार्यालय
नगर पालिका परिषद, अमरोहा

दिनांक: 24-01-2018

दिनांक: 24-01-2018

स्वामित्व प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय ग्राम- निजामपुरगर्वी, घनोजरा रोड़, अमरोहा (उ०प्र०) के खसरा नं० 402 व 403 कुल रकबा 1.12 एकड़ भूमे पर मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी हेतु भवन निर्माण किया गया है। अतः इस भवन का उपयोग केवल मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी के लिए ही किया जाएगा। एवं भविष्य में इस भवन पर मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी का ही स्वामित्व होगा।



Rashida Begam Muslim Mahavidyalaya,

President

अधिसाक्षी अधिकारी
अधिसाक्षी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नगर पालिका परिषद
अमरोहा

(अभिमत प्रमाण)
जनसंख्या ...
...
...

कार्यालय नगर पालिका परिषद अमरोहा जनपद-अमरोहा
पत्रांक:- 1035/का030/2023 नो.नांक:- 28/12/2023
नोटिस

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
मैस्को इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी
निजामपुर गर्बी, धनौरा रोड, अमरोहा

अवगत कराना है कि श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र स्व0 श्री तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गशितयान, अमरोहा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.10.2023 मे अनुरोध किया है कि आपके द्वारा आपके विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध मे प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ को प्रस्तुत अभिलेखों मे मैस्को इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी निजामपुर गर्बी धनौरा रोड, अमरोहा के नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा जारी भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न) प्रस्तुत किया गया है। उक्त जानकारी/अभिलेख श्री सैयद अशहर तौसीफ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ से प्राप्त हुई है। आवेदक द्वारा इस कार्यालय से उक्त प्रमाण पत्र का सत्यापन करने का अनुरोध उक्त जनसूचना आवेदन के माध्यम से किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्र मैस्को इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी निजामपुर गर्बी धनौरा रोड, अमरोहा को जारी नहीं किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र इस कार्यालय से दिनांक 24-01-2018 को जारी होना अंकित है जबकि निजामपुरगर्बी क्षेत्र शासन की अधिसूचना दिनांक 21-7-2022 तक इस कार्यालय के प्रशासनिक क्षेत्र का सम्मिलित क्षेत्र भी नहीं था तथा वर्ष 2018 मे ऐसा कोई प्रमाण पत्र पालिका द्वारा जारी नहीं किया जा सकता था। उक्त से स्पष्ट है कि नगर पालिका परिषद अमरोहा के नाम से कूटरचित प्रमाण पत्र (अभिलेख) अन्य शासकीय विभागो में अवैध रूप से प्रयोग किया गया है। प्रथमदृष्टया प्रकरण अवैध रूप से शासकीय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कूटरचित अभिलेखो को बनाये जाने की गम्भीर प्रवृत्ति का है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित पक्ष इस नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें कि आप द्वारा इस कार्यालय के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ को प्रस्तुत क्यों किया गया ? निर्धारित समयावधि अन्तर्गत आपके द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में लिखित पक्ष प्रस्तुत न किये जाने पर यह मानते हुये कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदानुसार कूटरचित शासकीय अभिलेखो का उपयोग किये जाने के आरोप में सुसंगत धाराओ में विधिक कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

प्रतिलिपि:-

- 1-जिलाधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- 2-श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र स्व0 श्री तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गशितयान, अमरोहा।

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद अमरोहा

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद अमरोहा
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अमरोहा

न्यायालय नियत प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।
मानचित्र संख्या-222/2023 आर0वी0ओ0 एक्ट, 1958

31/12/23

सरकार

बनाम

मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी .

निर्णय

प्रश्नगत वाद प्रगल्भ समिति राशिदा वेगम गुरिलम महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी, निर्माण स्थल ग्राम निजामपुर गर्वी, धनौरा रोड अमरोहा के मानचित्र संख्या 222/2023 पर प्रारम्भ हुई। प्रस्तावित मानचित्र संख्या 222/2023 पर नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा के स्वीकृत आदेश 27.02.2023 के आधार पर कार्यालय के पत्र संख्या 1296/वि0 क्षेत्र/अमरोहा/2022--23 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा निर्माण स्थल पर स्वामित्व संबंधी अनापत्ति पत्र हेतु तहसीलदार, तहसील अमरोहा व अपर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की आख्या दिनांक 13.05.2023 पर को पत्र प्रेषित किया गया है। जिस पर कार्यवाही करते हुये तहसीलदार, तहसील अमरोहा द्वारा दिनांक 22.09.2023 को अनापत्ति/आख्या उपलब्ध करायी जिसमें स्वामित्व संबंधी अनापत्ति/आख्या के संबंध में अद्वयता कराया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र सं0 222/2023 को द्वारा प्रस्तावित निर्माण स्थल ग्राम निजामपुर गर्वी स्थित गाटा सं0 404, 403 चकवन्दी पूर्व गाटा संख्या 311 से बना है। 1:359 फ:0 वर्ग के खसरे में गाटा सं0 311 "तालाब" दर्ज है। ध्यातव्य है कि "तालाब" की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, के संबंध में आवेदक को कार्यालय के पत्र संख्या 1501/वि0क्षेत्र0अमरोहा/2023 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा सूचना प्राप्त कराकर दिनांक 29.09.2023 को कार्यालय में साक्ष्य सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री कमाल फारखी, चैयरमैन मैनेजिंग कमेटी, मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी ग्राम निजामपुर गर्वी अमरोहा द्वारा दिनांक 06.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि विपक्षी मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी की मैनेजिंग कमेटी में चैयरमैन है तथा मैनेजिंग कमेटी के समस्त कार्यों को देखते हैं। उपरोक्त मानलो में प्रार्थी द्वारा आज ही श्री सलीन खान एडवोकेट को अधिवक्ता नियुक्त किया है तथा आपत्ति/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु 15 दिन का अवसर प्रदान करने की प्रार्थना की है। विपक्ष के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.10.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया कि विपक्षी को कारण पत्राओं नोटिस दिनांक 26.09.2023 सरासर गलत तथ्यों पर आधारित है दिनांक 08.08.2023 को तहसीलदार अमरोहा से मांगी गई रिपोर्ट पर संबंधित लेखपाल की आख्या दिनांक 20.09.2023 के आधार पर संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट दिनांक 22.09.2023 को तहसीलदार अमरोहा के द्वारा पोस्ट आफिस के समरूप मा0 महोदय को सन्नेषित किये जाने पर आधारित है। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट प्रथम दृष्टता ही दुर्भावना से प्रेषित होना प्रतीत होती है क्योंकि कार्यालय के पत्र दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से तहसीलदार अमरोहा से प्रासंगिक भवन मानचित्र के स्थल से संबंधित सड़क/मार्ग की राजस्व अभिलेख के अनुसार चौड़ाई सहित स्वामित्व जांच आख्या मांगी गई थी, लेकिन संबंधित लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार अमरोहा के द्वारा मा0 महोदय के आदेश के परिपालन में न जो सड़क/मार्ग की राजस्व अभिलेख के अनुसार चौड़ाई के संबंध आख्या दी गई, और न ही कोई भवन मानचित्र से संबंधित भूमि के विषय में स्वामित्व की जांच किये बिना ही कोई आख्या दी गई, बल्कि लगभग 50 वर्ग पूर्ण राजस्व रिकार्ड में मौके की स्थिति में तालाब होने की रिपोर्ट प्रेषित की गयी है जबकि इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि मा0 महोदय के अधीनस्थों के द्वारा आदेश दिनांक 08.08.2023 का साम्यक अनुपालन न किये जाकर मात्र अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुये उत्तरदाता को क्षति पहुंचाने के लिये अवांछित आख्या प्रेषित की गई है। पत्र सं0 403 व 404 याकं ग्राम निजामपुर गर्वी तहसील अमरोहा संकमणीय भूमिधरी श्रेणी 1(क) की भूमि है, जो तालाब की भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। जिसे संकमणीय भूमिधर होने के नाते किसी भी प्रकार में प्रयोग करने का अधिकार आपत्तिकर्ता को है, खसरा नं0 403 व 404 विक्रय के उपरान्त उसके राजस्व रिकार्ड में राशिदा वेगम मुस्लिम महाविद्यालय का नाम दिनांक 17.05.2023 को अंकित हुआ है। अन्त में विपक्षी द्वारा उपरोक्त वर्णित आधारों एवं विधि व्यवस्थाओं के विवेचन के आधार पर नोटिस दिनांक 26.09.2023 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।



12/2

भरे द्वारा विपक्षी के कथन को सुना गया एवं मन्त्रायली का अवलोकन किया गया विपक्षी के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपगत कराया गया है कि कारण गताओं नोटिस दिनांक 26.09.2023 सरासर गलात तथ्यों पर आधारित है दिनांक 08.08.2023 को तहसीलदार अमरोहा से मांगी गई रिपोर्ट पर संबंधित लेखपाल की आख्या दिनांक 20.09.2023 के आधार पर संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट दिनांक 22.09.2023 को तहसीलदार अमरोहा के द्वारा पोस्ट आफिस के समरूप मा० महोदय को सम्प्रेषित किये जाने पर आधारित है। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट प्रथम दृष्टता ही दुर्भावना से प्रेरित होना प्रतीत होती है क्योंकि कार्यालय के पत्र दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से तहसीलदार अमरोहा से प्रारंभिक भवन मानचित्र के स्थल से संबंधित सड़क/मार्ग की राजस्व अभिलेख के अनुसार चौड़ाई सहित स्वामित्व जांच आख्या मांगी गई थी, लेकिन संबंधित लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार अमरोहा के द्वारा मा० महोदय के आदेश के परिपालन में न जो सड़क/मार्ग की राजस्व अभिलेख के अनुसार चौड़ाई के संबंध आख्या दी गई, और न ही कोई भवन मानचित्र से संबंधित भूमि के विषय में स्वामित्व की जांच किये बिना ही कोई आख्या दी गई, बल्कि लगभग 50 वर्ष पूर्व राजस्व रिकार्ड में भूके की स्थिति में तालाब होने को रिपोर्ट प्रेषित की गयी है जबकि इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि मा० महोदय के अधीनस्थों के द्वारा आदेश दिनांक 08.08.2023 का सम्यक अनुपालन न किये जाकर मात्र अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुये उत्तरदाता को क्षति पहुंचाने के लिये अवांछित आख्या प्रेषित की गई है। खसरा नं० 403 व 404 वाले ग्राम निजामपुर गर्वी तहसील अमरोहा संकमणीय भूमिधरी श्रेणी 1(क) की भूमि है, जो तालाब की भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। जिसे संकमणीय भूमिघर होने के नाते किसी भी रूप में प्रयोग करने का अधिकार आपत्तिकर्ता को है। खसरा नं० 403 व 404 विक्रय के उपरान्त उसके राजस्व रिकार्ड में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय का नाम दिनांक 17.05.2023 को अंकित हुआ है। तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 22.09.2023 के अनुसार प्रस्तावित निर्माण स्थल ग्राम निजामपुर गर्वी स्थित गाटा सं० 404, 403 चकगंदी पूर्व गाटा संख्या 311 से बना है। 1359 वर्ग के खसरे में गाटा सं० 311 "तालाब" दर्ज है। ध्यातव्य है कि "तालाब" की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है व अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की आख्या दिनांक 30.10.2023 के अनुसार प्रस्तावित निर्माण स्थल ग्राम निजामपुर गर्वी स्थित गाटा सं० 398, 402, 404 व 403 में से गाटा सं० 404, 403 में तालाब दर्ज होने के कारण स्वीकृति पर कार्यवाही किया जाना विधिक नहीं है व मानचित्र सं० 222/2023 को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा दिनांक 06.10.2023 व 30.10.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बलहीन व आचारहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

आदेश

अतः श्री कमाल फारुखी, चैयरमैन मैनेजिंग कोटी, मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी ग्राम निजामपुर गर्वी अमरोहा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2023 व 30.10.2023 बलहीन व आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाते हैं व तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 22.09.2023 व अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की आख्या दिनांक 30.10.2023 के आधार पर मानचित्र संख्या 222/2023 निरस्त किया जाता है तथा विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य न करें। तदनुसार अनुपालन हो।

दिनांक:- 18.12.2023



(प्रतिभा सिंह)

नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र-अमरोहा।

सहायक सहायक
नियत प्राधिकारी

164/3
16-5-2024
17-5-2024
17-5-2024
17-5-2024

Scanned with OKEN Scanner

सहायक प्रतिलिपि

सहायक प्राधिकारी
अमरोहा 17/12/24

ML (P) 1562/23 Date 06/09/2023 Time At 4-30 PM At C.H.C. Amroha Dist. Amroha
 Naugawan Sadat Dist. Amroha.

Examined → Highat Khan w/o Touseef Age about 56 yrs old (F) R/o Moh. Gastiyan P/o Naugawan Sadat Dist. Amroha.

BIB → 292 H.C., Bhupendra Singh P/o Naugawan Sadat Dist. Amroha

M1 → A Rased Black mole on right side of nose.

- Injuries →
- (1) Red contusion size of 4cm x 1cm on right side of neck 5cm above right clavicle
 - (2) Red contusion size of (4 x 1cm) on left side of neck 6cm above from left clavicle
 - (3) Red contusion size of (4cm x 2cm) on right side upper chest 2cm below from right clavicle bone

Opinion → All above injuries are simple in nature caused by some blunt & hard object duration is 2hr.



R.T.S. Att.

Highat Khan

Medical Officer
 C.H.C., Amroha
 Dist. Amroha

(Dr. M. Jaiswal)
 Medical Officer
 C.H.C., Amroha
 Dist. Amroha

ML (P) 1563/28 Date 06/09/2025 Time At 4:40 PM at C.H.C. Amroha Dist. Amroha


Examined → HASAN AZAK TOUSEEF S/O TOUSEEF HASAN Age about 24 years old
(M) R/O Moh. Gashujan P/S Nougawan Badat Dist. Amroha

BB → H.G. 292 Bhupendra Singh P/S Nougawan Sadat Dist. Amroha

M.C. → A Black male on right side face 2.5 cm away from right mouth angle.

Injuries → ① Red contusion size of (5cm x 3cm) on right shoulder tip.
② Red contusion size of (3cm x 1cm) on front of upper chest
5cm below from right clavicle.
③ Red contusion size of 4cm x 2cm on left arm 8cm above from left elbow joint.

Opinion → All above injuries are simple in nature caused by some blunt on hard object duration is fresh.



AZAK TOUSEEF
Medical Officer
C.H.C., Amroha
Dist. Amroha

(Ar M. Jha)
Medical Officer
C.H.C., Amroha
Dist. Amroha

भारत (स्वास्थ्य एवं एन बी)	परिषद् (भारतीय चिकित्सा परिषद्) 4 तल, प्लॉट नंबर 2, श्री आनन्दमयी मार्ग, नई दिल्ली-110020 011-61299900-03 registrar@pci.nic.in		PHARMACY COUNCIL OF INDIA (Statutory body under Ministry of Health & Family Welfare) Government of India NBCC Centre, 3 rd Floor, Plot No. 2, Community Centre, Man Anandmal Marg, Okhla, Phase-I, New Delhi-110020 Telephone No. 011-61299900-03 E-mail: registrar@pci.nic.in
---	---	--	---

Ref. No. PCI-4013/2023

86 45-46

Speed Post + E-Mail**RTI**

सेवा में

श्री सैयद अशर तोशिफ पुत्र श्री तोशिफ हसन
 मोहल्ला गश्तियान अमरोहा-244 221 (उत्तर प्रदेश)
 ईमेल - ashhartausecf@gmail.com

- 6 MAR 2024

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगना

संदर्भ: आपका ऑनलाइन आरटीआई आवेदन संख्या PHRCI/R/E/24/00055 तिथि 09.02.2024 (s/80)

महोदय,


यह आपके ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दिनांक 09.02.2024 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि -

1 से 6 और 9 - कोई जानकारी नहीं मांगी गई है।

7 और 8 - यह सूचित किया जाता है कि संस्थान ने अपने ऑनलाइन एसआईएफ 2024-2025 पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित मानचित्र और मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी के लिए भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। दस्तावेजों की फोटोकॉपी आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (जे) के तहत, तीसरे पक्ष की जानकारी फोटोकॉपी साझा नहीं की जा सकती।

अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पता है श्री अनिल मिश्र, अपीलीय प्राधिकारी और रजिस्ट्रार-सह-सचिव फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया एनबीसीसी सेंटर, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 2, सामुदायिक केंद्र मां आनंदमई मार्ग ओखला चरण I, नई दिल्ली - 110020 ।

आपकी भवदीया



(प्रतिमा तिवारी)

उप सचिव एवं सीपीआईओ.

महत्वपूर्ण / समयवद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी अमरोहा

पत्रांक: 1011(1) / एल0वी0सी0 / 2024

दिनांक: 8 अगस्त, 2024

विषय-

मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, धनौरा रोड अमरोहा की कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

अधिसासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद अमरोहा।

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक सं० 315/का०आ०/2024 दिनांक 06.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी द्वारा नोटिस के क्रम में दिनांक 06.01.2024 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया न०पा०परि० अमरोहा 1155/का०आ०/2024 दिनांक 12.02.2024 द्वारा श्री सुखवीर सिंह, पी०सी०एल०/तत्कालीन अधिसासी अधिकारी से सन्दर्भित प्रमाण पत्र पर हुये तत्कालीन अधिसासी अधिकारी के हस्ताक्षर के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, श्री सुखवीर सिंह, पी०सी०एल० प्रधान प्रबन्धक किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० नजीबाबाद जनपद विजनांर द्वारा कार्यालय अवगत कराया गया की प्रश्नगत प्रमाण पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं है।

अतः उक्त के क्रम में मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी के विरुद्ध उक्त फर्जी / कूटस्थित अभिलेख बनाने वाले / प्रस्तुत करने वाले के विरुद्ध प्राविधानानुसार कड़ी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को तीन दिवस के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(माया शंकर)
अपर जिलाधिकारी, (न्यायिक)
अमरोहा।

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी, (न्यायिक)
अमरोहा
8/8/24

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी अमरोहा

पत्रांक: 1011(2) / एल0वी0सी0 / 2024

दिनांक: 8 अगस्त, 2024

विषय-

मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, धनौरा रोड अमरोहा की कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गान्यता प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

अग्निशमन अधिकारी, अमरोहा।

जनपद - अमरोहा।

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक सं० एफएस-सीएफओ-2022 (सू०अ०अधि०)/546 दिनांक 13.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रभारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या: एफएस-2023 (सू०अ०अधि०)/207 दिनांक 09.11.2023 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अमरोहा कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय द्वारा मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा हेतु संलग्न किया गया प्रमाण पत्र संख्या: सी-93/एजुकेशनल-93/सीएफओ/प्रयोज्यता/2017 दिनांक: 25.09.2017 को अग्निशमन विभाग कार्यालय जनपद अमरोहा से जारी नहीं किया गया है और न ही उक्त प्रमाण पत्र अग्निशमन विभाग जनपद अमरोहा से सत्यापित हैं।

अतः उक्त के क्रम में मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी के विरुद्ध उक्त फर्जी / कूटरचित अभिलेख बनाने वाले / प्रस्तुत करने वाले के विरुद्ध प्राविधानानुसार कड़ी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को तीन दिवस के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(माया शर्मा)
अपर जिलाधिकारी, (न्यायिक)
अमरोहा।

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी, (न्यायिक)
अमरोहा।

प्रेषक,

पंजीकृत

जनसूचनाधिकारी / रजिस्ट्रार
आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र०
'आयुर्वेद भवन' 32 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ

सेवा में,

श्री सैय्यद अशहर तौसीफ
पुत्र श्री तौसीफ हसन
मोहल्ला-गरितयान, अमरोहा 244221


पत्रांक 1915 / बोर्ड - रजि०-जन०सू०/24 लखनऊ : दिनांक 10-09-2024

विषय:- जनसूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना/अभिलेख प्राप्त करने हेतु आनलाइन आवेदन पत्र ।

महोदय,

कृपया जनसूचनाधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्रेषित उपरोक्त विषयक आनलाइन आर०टी०आई० पंजीकरण संख्या एयूएनटीबी/आर/2024/60001 दिनांक 02-01-2024 एवं उक्त क्रम में आप द्वारा प्रेषित शुल्क दिनांक 10-09-2024 के संदर्भ में बोर्ड के पत्रांक 1179/बोर्ड-सा०प्रशा० मान्यता(18-19)/18(43) दिनांक 21-7-2018 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था मेस्को इंस्टीट्यूट आफ नर्सिंग एण्ड पैरा मेडिकल साइंसेज, निजामपुर गर्वी धनौरा रोड अमरोहा द्वारा मान्यता हेतु जमा किये गये समस्त प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नक- यथोपरि ।

भवदीय,

(डा० अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

EB 952867

कमाल फारुकी, अध्यक्ष, राशिदा वेगम मुस्लिम महाविद्यालय, पुत्र श्री नफीस अहमद फारुकी, उग्र भिवासी धनओरा रोड़, अमरोहा, प्राधिकृत हस्ताक्षरी मेस्को इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पेरा मेडिकल साइन्स, अमरोहा द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

1. इसको इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पेरा मेडिकल साइन्स कॉलेज में आयुर्वेदिक उपचारिका पाठ्यक्रम के संचालन के लिए मेरे द्वारा पैनल निरीक्षण सदस्यों को उपलब्ध कराये गये सभी प्रपत्र एवं विवरण सत्य एवं सही है।

2. जिस उल्लिखित भवन का पैनल निरीक्षण कराया गया है उसमें बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कोई पाठ्यक्रम संचालित नहीं है और न ही भविष्य में संचालित किया जायेगा। तथा बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

3. उपर्युक्त सूचना बिंदु 1 एवं 2 मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है। ईश्वर मेरी मदद करें।



हस्ताक्षर शपथकर्ता
Kamal Faruqi
28/6/18
Muslim Mahavidalaya

(कमाल फारुकी)

अध्यक्ष President

राशिदा वेगम मुस्लिम महाविद्यालय



MAHAVIDALAYA
(A Registered Trust)

Dhanaura Road, Amroha - 244221 (U.P.)
P.O. Nos. 115922 - 260014, 260013

Ref.No.- RBMM/11/2018

Date:-02/05/2018

RESOLUTION

Establishment of New Ayurvedic Nursing & Ayurvedic Pharmacy College

That the Rashida Begum Muslim Mahavidalaya vide its executive meeting held on 02-05-2018 at Dhanaura Road, Distt - Amroha (U.P.) vide item no. RBMM/11/2018 have resolved that Rashida Begum Muslim Mahavidalaya shall apply to start MESCO Institute of Nursing and Para Medical Sciences to offer Medical education in Ayurvedic Nursing & Ayurvedic Pharmacy and shall allocate land at Nijampur Garbi, Dhanaura Road, Amroha (U.P.) at Aaraji No./Khasra No. 402 and 403 total land measuring 1.12 Acres which is earmarked for the proposed MESCO Institute of Nursing and Para Medical Sciences at Nijampur Garbi, Dhanaura Road, Amroha (U.P.) required funds for creation of carpet and built up area in MESCO Institute of Nursing and Para Medical Sciences at Nijampur Garbi, Dhanaura Road, Amroha (U.P.) as required for proposed institute namely, MESCO Institute of Nursing and Para Medical Sciences and shall allocate required funds for procurement of equipments, furniture and other required entities for smooth functioning of the same.

Dhanaura, Amroha

Kamal Faruqi
2/5/18
Mr. Kamal Faruqi
Rashida Begum Muslim Mahavidalaya
President


Rashida Begum Muslim Mahavidalaya

President

Rashida Begum Muslim Mahavidalaya

President


PROJECT OF AN ENVIRONMENTAL PROJECT



SECTION A-A




COLUMN DETAIL



RAIN WATER HARVESTING PIT




ELEVATION



FLOOR PLAN





RAJA PLAN




RAIN WATER HARVESTING PIT

INTERNAL YARD



COURTYARD PLAN



PARKING AREA

Handwritten notes in yellow highlight, including 'The quantity of water...'

Handwritten notes in yellow highlight, including 'The quantity of water...'

Handwritten notes in yellow highlight, including 'The quantity of water...'

PROJECT - ENVIRONMENTAL DESIGN PLAN OF... (partially highlighted)

AR. MOHIB UDDIN... (partially highlighted)